"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 133] रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 मार्च 2014— चैत्र 1, शक 1936

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 मार्च 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-75/2006/वाक. (पं.)/पांच (46). — भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ -10/75/2006/वा. कर (पं.)/पांच (63) दिनांक 05-07-2006 को अधिक्रमित करते हुए स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 23 के कॉलम (2) में परन्तुक-(क) में उपदर्शित कंपनियों के समामेलन अथवा पुनर्गठन से संबंधित किसी एक लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की अधिकतम सीमा पांच करोड़ रुपये निर्धारित करती है, जब प्रभार्य शुल्क की रकम इस रकम से अधिक हो.

2. उक्त अधिसूचना दिनांक 01-04-2014 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 मार्च 2014

क्रमांक एफ 10-75/2006/वाक. (पं.)/पांच (46). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-75/2006/वाक. (पं.)/पांच (46), दिनांक 19-03-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 19th March 2014

NOTIFICATION

No. F 10-75/2006/CT (R)/V(46). — In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) in supersession of this Department's Notification No. F-10-75/2006/CT(R)/V/(63) Dated 05-07-2006 the State Government hereby directs the stamp duty, chargeable on a single instrument of amalgamation or reconstruction of companies under proviso (a) of column (2) of article 23 of Schedule 1-A of the said Act, shall not exceed rupees five crores, when the amount chargeable exceeds that amount.

2. This notification will come into effect from 01-04-2014.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.